संख्या:43/2020/1292 ई-2/तेरह-2019-89/2006

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2020

विषयः मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिलासपुर, जनपद मुजफ्फरनगर को पेय मदिरा के उत्पादन हेतु पेय क्षमता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-125/दो-प्रा.डी.-111/त्रिवेणी आसवनी, दिनांक 18.03.2020 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.05.2020 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-836ई-2/तेरह-2020-89/2006, दिनांक 15.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिलासपुर, जनपद मुजफ्फरनगर की अधिष्ठापित क्षमता 528 लाख ली. वार्षिक के अन्तर्गत 52.8 लाख ली. वार्षिक अर्थात अधिष्ठापित क्षमता का 10 प्रतिशत पेय मदिरा निर्माण की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in